

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 123 : Penalty for failure to furnish information return

If a person who is required to furnish an information return under section 150 fails to do so within the period specified in the notice issued under sub-section (3) thereof, the proper officer may direct that such person shall be liable to pay a penalty of one hundred rupees for each day of the period during which the failure to furnish such return continues:

Provided that the penalty imposed under this section shall not exceed five thousand rupees.

धारा 123 : सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति

यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 150 के अधीन कोई सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस विवरणी को देने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन के लिए, जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, एक सौ रुपए प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।